कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajatsthan.gov.in, फोन नं 01572-252240

क्रमांकः- न.वि.न्या/नियमन/2022/2776 दिनांक- 15/7/22

कार्यालय आदेश

इस न्यास की निजी खातेदारी में अनुमोदित आवासीय योजना **'बृज विहार फैज-2'** राजस्व ग्राम जगमालपुरा के खसरा नम्बर 1132/1125 रकबा 0.8026 है., खसरा संख्या 1136/758 रकबा 0.2819 है. व खसरा नम्बर 1135/757 रकबा 0.8306 कुल रकबा 19151.00 वर्गमीटर में राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्यो के एवज में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भू-खण्ड संख्या ए1, ए23, ए44, ए45, ए55, ए56, ए67, ए68, ए79 व ए80 कुल भूखण्ड 10 को अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण करने, चार्टेट इंजिनियर की तकनिकी रिपोर्ट उपरान्त न्यास स्तरीय कमेटी की अभिशंषा तथा सीवरेज एवं ड्रेनेज की राशि जमा कराये जाने पर एतद्द्वारा उपरोक्त रहन रखे गये भू-खण्डों को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

शर्तः-

1. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
2. बोरिंग/ ट्यूबवेल/ पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
3. योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricaty Agency or National Building code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

//

राजपाल सिंह यादव (RAS)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः- न.वि.न्या/नियमन/2022/2777-79 दिनांक- 15/7/22

प्रतिलिपिः-

1. संबंधित विकासकर्ता।
2. उप नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हाजा।

राजपाल सिंह यादव (RAS)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर